HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL APPEAL No. - 2583 of 1982

Jai Ram And Others

.....Appellant(s)

Versus

State

.....Respondent(s)

Counsel for Appellant(s)	:	Devesh Pandey, H.N. Sharma
Counsel for Respondent(s)	:	A.G.A.

Court No. - 84

HON'BLE CHAWAN PRAKASH, J.

1. अपीलार्थी संख्या 3 कन्हैया लाल तथा अपीलार्थी संख्या 5 बच्चन राम की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।

3. पत्रावली के अनुसार दोनों अपीलार्थीगण के विरूद्ध जमानतीय वारण्ट जारी किये गए हैं। कार्यालय आख्या दिनांकित 28.01.2023 तथा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र की आख्या के अनुसार अपीलार्थी संख्या 3 कन्हैया लाल तथा अपीलार्थी संख्या 5 बचन राम पर जमानतीय वारण्ट की तामील व्यक्तिगत रूप से हो गयी थी, लेकिन अपीलार्थीगण अनुपस्थित हैं। यह अपील वर्ष 1982 से संबंधित है।

4. अत: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र को आदेशित किया जाता है कि वह दोनों अपीलार्थीगण तथा उनके जमानतदारों के विरूद्ध धारा 446 दं०प्र०सं०/491 बी.एन.एस.एस के तहत प्रकीर्ण वाद पंजीकृत करके उनके विरूद्ध सम्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस न्यायालय को अपनी आख्या एक माह के भीतर प्रस्तुत करें।

5. अपीलार्थी संख्या 3 कन्हैया लाल तथा अपीलार्थी संख्या 5 बचन राम के विरूद्ध गैर-जमानतीय वारण्ट जारी किये जाएं, जिनकी तामील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र के माध्यम से की जाएगी।

6. यदि दोनों अपीलार्थीगण विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र के समक्ष स्वयं उपस्थित होते हैं या उपस्थित किये जाते हैं, उस दशा में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों अपीलार्थीगण को 50,000-50,000/- रुपए के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो-दो प्रतिभू दाखिल करने पर एवं इस आशय के शपथ-पत्र के साथ रिहा करेंगे कि वह अगली नियत तिथि पर इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

7. इस अपील को दिनांक 17.02.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

8. यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र और पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को निबन्धक (अनुपालन) द्वारा 48 घण्टे के भीतर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए।

(Chawan Prakash,J.)

January 13, 2026

Rahul

Digitally signed by :-
RAHUL KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad